

# PHILOSOPHY

PG III Sem. (Indian Logic)

व्याप्ति के प्रकार

Dr. S. K. Singh  
Mob. - 9431449951

→ भारतीय प्रमाणमीमांसकों ने व्यक्तित्व व्याप्ति के कई प्रकार के उदाहरण दिए हैं, यथा - अन्वय-व्यतिरेक, सम-विषय, सामान्य-विशेष, अन्तर्व्याप्ति-वर्धव्याप्ति-साकाम्य आदि। किन्तु इनमें से प्रथमोक्त व्याप्ति के प्रामाण्यप्रकार ज्यादा महत्वपूर्ण हैं - अन्वय-व्यतिरेक और सम-विषय व्याप्ति।

→ अन्वय-व्यतिरेक व्याप्ति - व्याप्ति का यह वर्गीकरण नैयायिकों ने प्रस्तुत किया है। महर्षि गौतम के साधर्म्य तथा वैदार्म्य उदाहरण विकल्प में अन्वय तथा व्यतिरेक व्याप्तिओं का उदाहरण दिया है।

हेतु का साध्य के साथ स्वाभाविक संबंध अन्वय व्याप्ति है, जैसे दूध की अग्नि के साथ व्याप्ति। दूसरी ओर 'साध्य के अभाव' की 'हेतु के अभाव' के साथ व्याप्ति 'व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है। जैसे - 'जहाँ जहाँ धुँआ है वहाँ वहाँ आग है' - अन्वय व्याप्ति है, वैसे ही 'जहाँ जहाँ अग्नि का अभाव है वहाँ वहाँ धुँआ का अभाव है' - व्यतिरेक व्याप्ति है।

पुत्रालोक रूप में 'हेतु साध्य का व्यापक है' अथवा 'जहाँ-जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य है' - अन्वय व्याप्ति को अनिवार्य कहा है, यथा - 'जहाँ-जहाँ धुँआ है वहाँ वहाँ आग है'। वही भाँति 'जहाँ-जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ वहाँ हेतु का अभाव है' - व्यतिरेक व्याप्ति को अनिवार्य कहा है, यथा - 'जहाँ-जहाँ आग का अभाव है वहाँ वहाँ धुँआ का अभाव है'।

→ सम-विषम व्याप्ति → एक अन्य दृष्टि से भी व्याप्ति के दो प्रकार की होती हैं - सम-व्याप्ति और विषम व्याप्ति।

जिस हेतु और साध्य की सत्ता का क्षेत्र सर्वथा समान होता है उनकी पारस्परिक व्याप्ति सम-व्याप्ति है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में जब व्यापक और व्याप्य का क्षेत्र समान हो तो उसे सम व्याप्ति कहते हैं। इस प्रकार सम व्याप्ति में हेतु और साध्य की सत्ता का क्षेत्र समान होने पर हेतु और साध्य को एक-दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है अर्थात् क्षेत्रों में से एक को आधार पर दूसरे का अनुमान करसुमान किया जा सकता है।

जिस हेतु का क्षेत्र साध्य के क्षेत्र से छोटा हो उसे विषम व्याप्ति कहते हैं, यथा - 'जहाँ-जहाँ धुँआँ है वहाँ-वहाँ आग है'। इसमें हेतु अथवा व्याप्य का क्षेत्र साध्य अथवा व्यापक के क्षेत्र से छोटा है अर्थात् व्याप्य के क्षेत्र से व्यापक का क्षेत्र बड़ा है। ऐसी स्थिति में हेतु और साध्य को एक-दूसरे में परिवर्तित कर उसके बीच व्याप्ति सिद्ध नहीं किया जा सकता अर्थात् साध्य के आधार पर हेतु (अथवा वि.) का अनुमान नहीं किया जा सकता।